

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/3112
दिनांक : 23/8/2022

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य,
बडौत कालेज ऑफ एजुकेशन,
बडौत, बागपत।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 13.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/1385 दिनांक 06.07.2016 एवं विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/2454 दिनांक 28.10.2015 के द्वारा अनुमोदित कार्यरत सहायक आचार्य विकास मलिक, (शैक्षिक योग्यता-एम0ए0, एम0फिल0, नेट) एवं अजय सिंह (शैक्षिक योग्यता-एम0ए0, एम0एड0, नेट) की समयावधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 13.03.2020 एवं मा0 कार्यपरिषद की आहूत बैठक दिनांक 29.03.2022 के संकल्प संख्या 11 में पारित आदेशों के अनुपालन में महाविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत जो पाठ्यक्रम, जब तक संचालित रहेगे, तब तक उक्त पाठ्यक्रम में कार्यरत शिक्षकों की सेवाये संतोषजनक रहने तक यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाना आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 13.03.2020 एवं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आहूत बैठक दिनांक 29.03.2022 में पारित निर्णय के अलोक में आपका उपरोक्त वर्णित पत्र निस्तारित किया जाता है।

भवदीय

कार्या0 अधीक्षक (सम्बद्धता)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/१७७
दिनांक : २२-५-२०१९

सेवा में,
सचिव,
बडौत कालेज ऑफ एजुकेशन,
बडौत, बागपत।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 27.03.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को सहा० आचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1.	धर्मेन्द्र कुमार भारती	सहा० आचार्य	एम०ए०, एम०एड०, नेट (17)	डॉ० अजय कुमार मेरठ कालेज, मेरठ। डॉ० लवलाता सिन्घु मेरठ कालेज, मेरठ।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को सहा० आचार्य पद पर शासन/ यू०जी०सी०/ एन०सी०टी०ई०/बी०सी०आई०/ एम०सी०आई०/ एन०सी०आई०/ सी०सी०आई०एम० / ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार तीन वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतः 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे सहा० आचार्य के सम्बन्ध में अद्यतन शारणादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित सहा० आचार्य के अनिर्वाह में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/4488
दिनांक : 05.12.2019

सेवा में,
सचिव,
बडौत कालेज ऑफ एजुकेशन,
बडौत, बागपत।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 17.08.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को सहा0 आचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N.	Name	Univ. Expert	Design	Qualification
1. किरन	सहा0 आचार्य	एम0एड0, नेट (17)		डॉ0 अजय कुमार मेरठ कालेज, मेरठ। डॉ0 जयलता सिन्हा मेरठ कालेज, मेरठ।
2. निर्देश कुमार सिंह	सहा0 आचार्य	एम0ए0, एम0एड0, नेट (12)	 तदर्थ
3. अब्दुल कादिर	सहा0 आचार्य	एम0एस0सी0 एम0एड0, नेट (17)	 तदर्थ
4. अमित कुमार	सहा0 आचार्य	एम0ए0, एम0एड0, नेट (12)	 तदर्थ

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को सहा0 आचार्य पद पर शासन/ यू0जी0सी0/ एन0सी0टी0ई0/ वी0सी0आई0/ एम0सी0आई0/ एन0सी0आई0/ सी0सी0आई0एम0/ ए0आई0सी0टी0 के मानकानुसार तीन वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे सहा0 आचार्य के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित सहा0 आचार्य के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Churan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2454
दिनांक : 29-10-2015

सेवा में,
राजिव
बड़ौत कालेज ऑफ एजुकेशन,
बड़ौत (भागपत)।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 01.10.2015 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा आपका संस्थान में स्वचित्त घोषित योजना के अंतर्गत संचालित भी0एड0 पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रवक्ता पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है -

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Sh.Sanjay Saxena	Lecturer	M.A.(Socio./Eco.), B.Ed., M.Ed	Prof.Pradeep Kr.Joshi HNBG University, Garhwal Dr.Saroj Kumari CSNSS(P.G.) College, Machhra, Meerut
2-	Sh. Rajkamal	Lecturer	M.A (Hist.),B.Ed.,M.Ed	—do—
3-	Sh. Amitosh Tiwari	Lecturer	M.A.(Geog.),B.Ed.,M.Ed	—do—
4-	Sh.Devendra Singh	Lecturer	M.Sc (Maths),B.Ed., M.Ed	—do—
5-	Sh.Rajkumar Singh	Lecturer	M.Sc (Phy.), B.Ed., M.Ed	—do—
6-	Smt. Pooja Rani	Lecturer	M.A.(Eng.),B.Ed.,M.Ed	—do—
7-	Sh.Ajay Singh	Lecturer	M.A.(Geog./Hindi), B.Ed.,M.Ed	—do—
8-	Dr.Subodh Kumar Singh	Lecturer	M.A.(Eco./Hindi),B.Ed.,M.Ed Ph.D.(Edu.)	—do—
9-	Sh.Rishi Pal Singh	Lecturer	M.A.(Pol.Sci.),B.Ed.,M.Ed., NET (Edu.)	—do—
10-	Sh. Mohit Yadav	Lecturer	M.Com., B.Ed., M.Ed.,	—do—

सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ द्वारा प्रवक्ता पद हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों की सरसुति की गयी है। विषय विशेषज्ञ की सरसुति एवं विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर कुलपति जी के आदेशानुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों को एन0सी0टी0ई0 के मानकानुसार प्रवक्ता पद पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय,

34 राहुत कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. सम्बन्धित शिक्षकों को सूचनार्थ प्रेषित।

34 राहुत कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/3731
दिनांक : 26-2-2016

सोवा में,
सचिव
बड़ौत कालेज ऑफ एजुकेशन,
बड़ौत (बागपत)।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 12.02.2016 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा आपने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित वी0एड0 पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रवक्ता पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
01-	Dr.Bharti Varsheny	Lecturer	M.A.(Music), Ph.D.(Music 12)	Dr.Rekha Seth I.N.College, Meerut
02-	Sh.Somdutt Tyagi	Lecturer	B.P.Ed., M.P.Ed	Sh.Vijay Kumar DAV College, MZN
03-	Sunil Awasthi	Lecturer	M.A.(Drg.&Ptg.)	Dr.Vedpal Singh DAV College, MZN Dr.Sushma Singh M.D.University, Rohtak

सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ द्वारा प्रवक्ता पद हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों की संस्तुति की गयी है। विषय विशेषज्ञ की संस्तुति एवं विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर कुलपति जी के आदेशानुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों को एन0सी0टी0ई0 के मानकानुसार प्रवक्ता पद पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय,

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1761
दिनांक : 10.04.2016

सेवा में,
सचिव,
बड़ौत कालेज ऑफ एजुकेशन,
बड़ौत (बागपत)

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 18.04.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में संचालित बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता/262 दिनांक 22.04.2010 एवं सम्बद्धता/2834 दिनांक 10.12.2012 द्वारा अनुमोदित शिक्षकों की समयावधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Rajeev Malik	Lecturer	MCA	Dr. Anurag Sharma D.N. College, Meerut
2-	Rashika Malik	Lecturer	MCA	—do—
3-	Avi Jain	Lecturer	MCA,	—do—

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्वयंसेवक पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता/262 दिनांक 22.04.2010 एवं सम्बद्धता/2834 दिनांक 10.12.2012 द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं को शासन/यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार पांच वर्ष हेतु प्रवक्ता पद पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय,

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/3232
दिनांक 27.10.2017

सेवा में,
सचिव,
बडौत कालेज ऑफ एजुकेशन,
बडौत, बागपत।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 04.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा आपने संस्थान में संचालित बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्न अभ्यर्थी को उनके सम्मुख अंकित पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

<u>S.N.</u>	<u>Name</u>	<u>Design</u>	<u>Qualification</u>	<u>Univ. Expert</u>
1-	Shashank Jain	Lecture	MBA	Dr.R.C.Lal M.M. College, Modinagar Dr. P.K. Saxena D.N. College, Meerut
2-	Vikash Tomar	Lecturer	MBA	----- do -----
3-	Shivdutt	Lecturer	PGDM	----- do -----

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को प्रवक्ता पद पर शासन/यू०जी०सी०/ एन०सी०टी०ई०/ बी०सी०आई०/ एन०सी०आइ०/ एन०सी०आई०/ सी०सी०आई०एन०/ ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार तीन वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ता की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे, प्रवक्ता के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित अभ्यर्थी के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय,

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/3740
दिनांक : 29.9.2022

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य,
बडौत कालेज ऑफ एजुकेशन,
बडौत, बागपत।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 05.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0ए0 (इतिहास) पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N. Name
1-Anjali Singh

Design
Asst. Prof.
(His.)

Qualification
M.A., NET

Univ. Expert
Prof. Vighnesh Kumar
CCS University, Meerut
Dr. Devesh Sharma
N.A.S. College, Meerut

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0ए0 (इतिहास) पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य पद पर शासन/यू0जी0सी0/नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक, उपरोक्त शिक्षकों की सेवाये संतोषजनक रहने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाया आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी सविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

कार्या0 अधीक्षक (सम्बद्धता)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / 5152
दिनांक : 18.01.2023

सेवा में,

सचिव / प्राचार्य,
बडौत कालेज ऑफ एजुकेशन,
बागपत।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0ए0 (समाजशास्त्र) पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Dr. Vipin Kumar	Asst. Prof. (Sociology)	M.A. NET, Ph.D.	Prof. Alok Kumar CCS University, Meerut Dr. Rajendra Kr. Sharma N.A.S. College, Meerut

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0ए0 (समाजशास्त्र) पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/यू0जी0सी0/नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त शिक्षकों की सेवाये संतोषजनक रहने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाना आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

कार्या0 अधीक्षक (सम्बद्धता)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/4790
दिनांक : 21.12.2022

सेवा में,

✓ सचिव/प्राचार्य,
बडौत कालेज ऑफ एजुकेशन,
बडौत, बागपत।

महोदय,

कृपया अपने पत्र 19.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0ए0 (अंग्रेजी) पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/3345 दिनांक 28.01.2016 के द्वारा अनुमोदित कार्यरत सहायक आचार्य डॉ0 विक्रान्त राजपूत (शैक्षिक योग्यता-एम0ए0-अंग्रेजी, पी0एच0डी0-2008) की समयावधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 13.03.2020 एवं मा0 कार्यपरिषद की आहूत बैठक दिनांक 29.03.2022 के संकल्प संख्या 11 में पारित आदेशों के अनुपालन में महाविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत जो पाठ्यक्रम, जब तक संचालित रहेगे, तब तक उक्त पाठ्यक्रम में कार्यरत शिक्षकों की सेवाये संतोषजनक रहने तक यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाया आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 13.03.2020 एवं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आहूत बैठक दिनांक 29.03.2022 में पारित निर्णय के अलोक में आपका उपरोक्त वर्णित पत्र निस्तारित किया जाता है।

भवदीय

कार्या0 अधीक्षक (सम्बद्धता)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/45

दिनांक : 6/1/2016

सेवा में,

राधिव,

बड़ौत कालेज ऑफ एजुकेशन,

बड़ौत (बागपत)

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 08.02.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रस्तुत संस्थान में संचालित भी0काग0 कार्यक्रम में विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता/3320 दिनांक 08.02.2013 द्वारा अनुमोदित शिक्षकों की समयावधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

क्र0सं0	नाम	पदनाम	शैक्षिक योग्यता	विषय विशेषज्ञ
1.	श्री हरीश कुमार	प्रवक्ता	पीएच (11)	ई0एच0 कुर्त ई0एच0 कालेज बड़ौत, बागपत।
2.	श्री सुनील कुमार	प्रवक्ता	एम0फिल0 (08)	-----तदित-----

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित भी0काग0 कार्यक्रम में विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता/3320 दिनांक 08.02.2013 द्वारा अनुमोदित प्रवक्ता को शासन/यू0डी0सी0 के मानकानुसार पांच वर्ष हेतु प्रवक्ता पद पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अन्यथा कुलपति के ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय,

उपकुलपति (सम्बद्धता)
कुलपति

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / 5224
दिनांक : 27-01-2023

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य,
बडौत कालेज ऑफ एजुकेशन,
बडौत, बागपत।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 19.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संघालित बी0काम0 पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N. Name
1-Dr. Yugal Kishor

Design Qualification
Asst. Prof. MHRD, M.Com., Ph.D.

Univ. Expert
Dr. Monika Sharma
MMH College GZB
Dr. Tarun Jain
D.J. College Baraut

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संघालित बी0काम0 पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/यू0जी0सी0/नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त शिक्षकों की सेवाएं संतोषजनक रहने तक, यथावत रहेंगी। शिक्षकों की शिक्षण सुव्यवस्था का विस्तार करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाया आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी सविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

कार्या0 अधीक्षक (सम्बद्धता)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / 1156
दिनांक : 3.6.2026

सेवा में,

सचिव / प्राचार्य
बडौत कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
बडौत, बागपत।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 13.05.2026 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में चयन समिति दिनांक 07.04.2026 द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है।

S.N. Name

1-Mrs. Shweta Mishra

Design
Asst. Prof.

Qualification

M.SC ,B.Ed,M.Ed,NET

Univ. Expert

Dr. Amita Solanki
V.M.L.G. College, GZB
Dr. Sanjeev Tomar
C.S.S.S. College, Macchra,
Meerut

2-Mr. Pawan Kumar Gupta
3-Mr. Parshuram Yadav
4-Mrs. Prerana Chauhan
5-Dr. Shivdhari Singh
6-Mr. Devendra Pratap Singh

Asst. Prof.
Asst. Prof.
Asst. Prof.
Asst. Prof.
Asst. Prof.

M.COM,B.Ed,M.Ed.,NET
M.A,B.Ed,M.Ed.,NET
M.COM,B.Ed,M.Ed,NET
M.COM,B.Ed,M.Ed,Ph.d
M.A,B.Ed,M.Ed,NET

-----do-----
-----do-----
-----do-----
-----do-----
-----do-----

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में उपरोक्त अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/यू0जी0सी0/नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त प्राचार्य की सेवाये संतोषजनक रहने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाया आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित अभ्यर्थियों की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय
03/06/26
सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)